

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं03(1)चिस्वा/2/2023/के-628

जयपुर, दिनांक:

आदेश

डॉ0 किशोर कुमार खिची प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम,1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ0 खिची के विरुद्ध आज तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।
- 2-संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
- 3-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना कुचामन सिटी।
- 4-डॉ0 किशोर कुमार खिची प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी।
- 5-कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

**Signature valid**



Digitally signed by Nimisha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.12.27 15:29:11 IST  
Reason: Approved